


राजस्थान सरकार
निदेशालय, कृषि पंत, कृषि भवन जयपुर

क्रमांक प. 3(8) नि.कृ./लेखा/बजट (NP)/2016-17/ 3080-4130 दिनांक : 31/10/16

कार्यालय आदेश


माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, राजस्थान के निर्णय की पालना में अकृषि योग्यताधारी, कृषि पर्यवेक्षक को किये जाने वाले एरियर के बिलों की जांच सम्बन्धित कार्यालय में पदस्थापित लेखाधिकारी, ग्रेड-1/2 के जांच के पश्चात् ही भुगतान किया जावे। यदि किसी कार्यालय में लेखाकर्मि पदस्थापित नहीं है तो उससे उच्च कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मि से जांच करवाना सुनिश्चित करें। एरियर बिलों का भुगतान सम्बन्धित बजट शीर्ष में आवंटित संवेतन मद से आहरित कर लिया जावे। अधिक/अनियमित भुगतान पाये जाने पर सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। भुगतान स्वीकृति की प्रति इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।


(घनश्याम शर्मा)
वित्तीय सलाहकार, कृषि

क्रमांक प. 3(8) नि.कृ./लेखा/बजट (NP)/2016-17/ 3080-4130 दिनांक : 31/10/16

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक (खण्ड), कृषि समस्त।
2. उप निदेशक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद् समस्त।
3. सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) समस्त
4. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान।
5. ACP को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को कृषि विभाग की बेबसाइट पर उपलब्ध करावे।


(घनश्याम शर्मा)
वित्तीय सलाहकार, कृषि